**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 2993**

**दिनांक 21 मार्च, 2018**

**चांदीर, बालिया में रसोई गैस बोटलिंग संयंत्र की स्थापना**

**2993. श्री नीरज शेखरः**

**श्री रवि प्रकाश वर्माः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री दिनांक 7 फरवरी, 2018 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं॰ 605 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्व अधिकारियों ने बलिया के जिला मजिस्ट्रेट को आई॰ओ॰सी॰एल॰ के पत्र क्रमांक एल॰पी॰जी॰/जी॰के॰पी॰ओ॰/बलिया प्लांट/01, दिनांक 24 जुलाई, 2015, जिसमें बोटलिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए भू-सर्वेक्षण के लिए कहा गया है, के उत्तर में वर्ष 2017 में यह सूचित किया है कि चांदीर, बलिया में प्रस्तावित भूमि उपर्युक्त संयंत्र के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय ने किस आधार पर यह कहा है कि यह भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं है; और

(ग) राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट को देखते हुए चांदीर में उपर्युक्त संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करेगी?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

**(क) :** इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. ने दिनांक 24.07.2015 और 27.01.2016 के पत्र संख्‍या एलपीजी/जीकेपीओ/बलिया प्‍लांट/01 द्वारा जिला मजिस्‍ट्रेट, बलिया से एलपीजी भरण संयंत्र की स्‍थापना हेतु आईओसी को उपयुक्‍त भूमि प्रदान करने का अनुरोध किया था। आईओसीएल को उक्‍त पत्र का कोई उत्‍तर प्राप्‍त नहीं हुआ है।

**(ख) और (ग):** एलपीजी भरण संयंत्र की स्‍थापना के लिए चंदीर,तहसील बैरिया, जिला बलिया, उत्‍तर प्रदेश में एनएच-31 पर एक भू-खंड की उपयुक्‍तता के बारे में आईओसीएल द्वारा दिनांक 14.10.2016 को प्रारंभिक आकलन किया गया था। निम्‍नलिखित कारणों की वजह से भूमि को उपयुक्‍त नहीं पाया गया :-

i.     पहचानी गई भूमि गंगा नदी की तलहटी के समीप है और बाड़ के लिए संभावित क्षेत्र है।

ii.      बल्क टैंकरों की आवाजाही नगरीय क्षेत्र से होकर होगी और यह संबद्ध सुरक्षा संबंधी खतरों को ध्‍यान में रखते हुए वांछनीय नहीं है।

iii.      एलपीजी के खतरनाक उत्‍पाद होने के कारण भरण संयंत्र की स्‍थापना भूमि के चयन संबंधी कड़े मानकों के अनुरूप ही की जा सकती है।

\*\*\*\*